भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 190

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

भविष्य निधि से निकाली गई कुल राशि

190. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्रयुत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण श्रमिकों की खराब हालत के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा सहायता प्रदान कर की गई पहल का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से राज्य-वार कुल कितनी राशि निकाली गई है;

(घ) देश में और अधिक रोजगार सृजित करके श्रमिकों की सहायता हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): वैश्विक महामारी, कोविड - 19 के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान के फलस्वरूप श्रमिकों द्वारा सामना की रही कठिनाइयों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर भारत के भाग के रूप में कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य के साथ - साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारत सरकार द्वारा वेसे सभी प्रतिष्ठानों, जिनमें 100 तक कर्मचारी कार्यरत हैं और ऐसे कर्मचारियों में से 90% कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000/- रूपये से कम है, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 तक छः वेतन

जारी–2/--

माहों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12%अंशदान अर्थात कुल 24% अंशदान का भुगतान; (ii) मई, जून और जुलाई, 2020 के वेतन माहों के लिए भविष्य निधि अंशदान को वेतन के 12% से घटाकर 10% करना ; (iii) ईपीएफ योजना, 1952 में संशोधन करके भविष्य निधि से कोविड अग्रिम जिसे वापस नहीं किया जाना है; (iv) विवरणियां फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाना;(v) कामगारों/ कर्मचारियों के परेशानी में होने संबंधी कॉलों का तत्परता पूर्वक देने और उन्हें अस्थायी आश्रय गृहों में सहायता करने के लिए भी परामर्शिका जारी करना; (vi) भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) की उप कर निधि का ग कोविड- 19 के प्रकोप के कारण प्रभावित सन्निर्माण कामकारों के बैंक खाते में प्रयाप्त धनराशि अंतरित करने के लिए उपयोग करना; (vii) कर्मचारियों और कामगारों को बर्खास्त न करके और उनका वेतन नहीं काटकर सहायता करना; और (viii) कोविड-19 को फेलने से रोकने के लिए निवारक उपाय करना।

(ग): 25.03.2020 से 31.08.2020 तक वैश्विक महामारी, कोविड - 19 के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से निकाली गई धनराशि की कुल मात्रा के राज्यवार ब्योरे को दर्शाता विवरण अनुबंध - क पर दिया गया है।

(घ): सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे - अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, भारी निवेश वाली विभिन्न प्रयोजनाओं की फास्ट ट्रेकिंग और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंडित दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं पर सर्वजनिक व्यय को बढ़ावा देना।

(ड.): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

* ****

अनुबंध क

भविष्य निधि से निकाली गई कुल राशि के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता, श्री बैन्नी बेहनन, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री बिद्रयुत बरन महतो और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा पूछे जाने वाले आतारांकित प्रश्न190 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ - राज्य क्षेत्र का नाम	**25.03.2020 से 31.08.2020 तक निकाली गई धनराशि (करोड़ रूपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	1,232.48
2	असम और अन्य उत्तर पूर्व के राज्य	227.15
3	बिहार	309.95
4	चंडीगढ़	506.73
5	छत्तीसगढ	402.59
6	दिल्ली	2,940.97
7	गोवा	184.27
8	गुजरात (दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव सहित)	2,115.17
9	हरियाणा	2,220.82
10	हिमाचल प्रदेश	267.55
11	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	0.44
12	झारखंड	294.03
13	कर्नाटक	5,743.96
14	केरल (लक्षदीव सहित)	1,288.09
15	मध्य प्रदेश	941.30
16	महाराष्ट्र	7,837.85
17	ओडिशा	512.64
18	पंजाब	642.93
19	राजस्थान	868.40
20	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	4,984.51
21	तेलंगाना	2,619.39
22	उत्तर प्रदेश	1,613.03
23	उत्तराखंड	398.79
24	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित)	1,249.90
कुल		**39,402.94**

*****